

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 13-10-2020
हिस्ट्रीशीटर/टॉप-10 अपराधी तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष मृत्युन्जय कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री आशीष कुमार तिवारी मय हमराह कां0 अमित कुमार राय व कां0 संजय कुमार सिंह के साथ चलाये जा रहे अभियान के तहत देखभाल क्षेत्र, तलाश वॉछित रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर होकर ढढौना पुल पर वाहन चेकिंग कर रहा था कि दौरान चोकिंग जरिए मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि एक मोटर साइकिल वाहन नं0- UP 53 CV 3623 हीरो पैसन प्रो0 ढढौना ग्राम की तरफ से आ रही है चालक आप के थाने का **हिस्ट्रीशीटर** है रोक के चेक / तलाशी लेने पर उक्त वाहन के सीट के नीचे से एक अदद नाजायज तमंचा बरामद हो सकता है मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर मैं उ0नि0 मय हमराह कर्मचारीगण के ढढौना पुल पर सतर्कता से चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर दूर से इशारा कर हट बढ़ गया हम पुलिस वालो द्वारा टार्च दिखाने पर उक्त वाहन चालक हम पुलिस वालो को देखकर वाहन को मोड़ कर भागना चाहा कि मैं उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण की मदद से आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया वाहन व वाहन के नम्बर को चेक किया गया तो मुखबिर के बताये हुए वाहन UP 53 CV 3623 हीरो पैसन प्रो0 सही पाया गया उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम पता मान सिंह पुत्र जयश्री निवासी ग्राम गहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 24 वर्ष बताया तथा जमा तलाशी लेने पर पहने हुए हाफ पैन्ट के दाहिने पाकिट से एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ कडाई से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपने वाहन के सीट के नीचे एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज रखा जाना बताया बरामद शुदा 315 बोर तमंचा जो चालू हालत मे है अभियुक्त के वाहन व बरामद शुदा नाजायज 315 बोर तमंचा व कारतूस 315 बोर के सम्बन्ध मे लाइशेंस मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा अपनी गलती की बार बार माफी माग रहा था अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट का दण्डनीय अपराध है की कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 20.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 699/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 207 एमवी एक्ट पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

मान सिंह पुत्र जयश्री निवासी ग्राम गहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी –

1. एक अदद नाजायज 315 बोर तमंचा
2. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद मोटर साइकिल UP 53 CV 3623 हीरो पैसन प्रो0

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 आशीष कुमार तिवारी
2. कां0 संजय कुमार सिंह
3. कां0 अमित कुमार राय